संख्या-222/2018/3843/26-3-2018-4(358)/07टी0सी0-।।।

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः-06 नवम्बर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1,2,3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12) योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में अध्ययनरत, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पूर्व निर्गत समय-सारिणी को संशोधत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12) योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में अध्ययनरत, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने एवं अन्य समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु शासनादेश संख्या-133/2018/1213/26-3-2018-4(358)/07 टी0सी III दिनांक 02 मई 2018 एवं शासनादेश संख्या-181/2018/ 2874/ 26-3-2018-4 (358)/07 टी0सी0-।।।, दिनांक-30.08.2018 द्वारा विभिन्न कार्यवाहियों हेतु वर्ष 2018-19 के लिये विस्तृत समय सारिणी जारी की गयी थी तथा शासनादेश संख्या-173/2018/2554/ 26-3-2018-4 (358)/07 टी0सी III दिनांक 13 अगस्त 2018 के अनुसार छात्रों को आनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 01 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक का समय निर्धारित किया गया था। जनपदीय अधिकारियों, संस्थाओं तथा छात्रों द्वारा लगातार यह सूचित किया जा रहा है कि कई विश्वविद्यालयों द्वारा अभी तक परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है तथा कतिपय पाठ्यक्रमों में अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इस कारण छात्र अगली कक्षा में छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन का नवीनीकरण नहीं कर पा रहें हैं।

2- स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल सितम्बर माह में घोषित किया जाता है तथा नये सत्र में छात्रों का प्रवेश 01 अक्टूबर से प्रारम्भ किया जाता है। उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने की समय-सीमा को बढाया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि सभी पात्र छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति -समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12 के छात्रों हेतु पूर्व शासनादेश संख्या 207/2018/ 3464/ 26-3-2018-4(358)/07 टी0सी III दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 द्वारा जारी समय- सारिणी जिसके द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों, जिनका आवेदन शिक्षण संस्था द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 तक अग्रसारित कर दिया गया है, मे से नवीनीकरण के शुद्ध डाटा वाले छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण की तिथियां यथावत् रहेगीं।

4- कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु संशोधित समय-सारिणीः-

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	वर्तमान कार्यवाही की समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
1	2	3	4
1	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 10 अक्टूबर 2018 तक	16 नवम्बर से 26 नवम्बर, 2018 तक
2	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक एवं आय तथा आधार नम्बर) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
3	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 16 अक्टूबर 2018 तक	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 03 दिसम्बर 2018 तक
4	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा	02 जुलाई से 22 अक्टूबर 2018 तक	17 नवम्बर, 2018 से 10 दिसम्बर, 2018 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।		
5	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।	30 अक्टूबर 2018 तक	18 दिसम्बर, 2018 तक
6	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	23 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2018 तक	11 दिसम्बर, 2018 से 16 जनवरी, 2019 तक
7	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सही डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत एवं डिजिटल सिग्नेचर से सही डाटा लाक किया जाना।	15 दिसम्बर 2018 तक	11 फरवरी, 2019 तक
8	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी	21 नवम्बर 2018 से 01 दिसम्बर 2018 तक	17 जनवरी, 2019 से 28 जनवरी, 2019 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।		
9	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके फाईनल सबमिट करने के 02 दिन के अन्दर, विलम्बतम 03 दिसम्बर 2018 तक	आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके फाईनल सबमिट करने के 02 दिन के अन्दर, विलम्बतम 31 जनवरी, 2019 तक
10	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाईन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	22 नवम्बर 2018 से 05 दिसम्बर 2018 तक	18 जनवरी, 2019 से 04 फरवरी, 2019 तक
11	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	06 दिसम्बर 2018 से 16 दिसम्बर 2018 तक	05 फरवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2019 तक
12	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना।	24 दिसम्बर 2018 तक	26 फरवरी, 2019 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर	10 जनवरी 2019 तक	05 मार्च, 2019 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना।		
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	16 जनवरी 2019 तक	10 मार्च, 2019 तक
15	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	24 जनवरी 2019 तक	20 मार्च, 2019 तक

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव।

पृ0सं0- 222/2018/3843(1)/26-3-2018तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/ नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकीशिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7- कुल सचिव, अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।